

## कार्यालय जिलाधिकारी, इटावा ।

(जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण—संग्रह अनुभाग)

पत्रांक : 929 / सी0आर0ए0—दै0आ0 / बाड—खाद्यान्न / ई—टेण्डर / 2020

दिनांक : 15 सितम्बर, 2020

### ई—निविदा सूचना

वर्ष 2020 में सम्भावित बाढ़ प्रभावितों को अहेतुक सहायता के रूप में दैनिक उपभोग की वस्तुएं उपलब्ध कराए जाने के लिए वस्तुओं का मूल्य निर्धारण एवं राहत सामग्री की आपूर्ति किए जाने एवं उसे जनपद की सम्बन्धित तहसीलों/मुख्यालय पर उपलब्ध कराने हेतु एतदद्वारा पंजीकृत फर्म/संस्था/एजेन्सी से दिनांक 15.09.2020 से 24.09.2020 की अपराह्न 2—00 बजे तक ई—निविदा स्वीकार की जायेगी तथा दिनांक 24.09..2020 की सायं 4—00 बजे प्राप्त ई—निविदाओं को निविदादाताओं की उपस्थिति में गठित समिति के द्वारा अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) इटावा के कार्यालय कक्ष, इटावा में खोली जायेंगी।

खाद्यान्न सामग्री एवं अन्य राहत सामग्री का विवरण एवं ई—निविदा की शर्तें निम्न प्रकार हैं—

### खाद्यान्न सामग्री का विवरण

क्र०सं0	खाद्यान्न सामग्री का नाम	मात्रा
1	आटा (प्रतिष्ठित ब्रान्डेड)	10 किग्रा0
2	चावल (उत्तम गुणवत्ता)	10 किग्रा0
3	आलू (उत्तम गुणवत्ता)	10 किग्रा0
4	लाई (उत्तम गुणवत्ता)	05 किग्रा0
5	भुना चना (उत्तम गुणवत्ता)	02 किग्रा0
6	अरहर की दाल (उत्तम गुणवत्ता)	02 किग्रा0
7	नमक आयोडाइज्ड (प्रतिष्ठित ब्रान्डेड)	500 ग्राम
8	हल्दी (प्रतिष्ठित ब्रान्डेड)	250 ग्राम
9	मिर्च पिसा (प्रतिष्ठित ब्रान्डेड)	250 ग्राम
10	धनियां (प्रतिष्ठित ब्रान्डेड)	250 ग्राम
11	मोमबत्ती (ब्रान्डेड)	01 पैकेट
12	माचिस (जलरोधी)	01 पैकेट
13	बिस्कुट—100ग्राम (प्रतिष्ठित ब्रान्डेड)	10 पैकेट
14	रिफाइन्ड तेल (प्रतिष्ठित ब्रान्डेड)	01 लीटर
15	नहाने के साबुन (ब्रान्डेड)	02 अदद

### अन्य राहत सामग्री का विवरण

क्र०सं0	अन्य राहत सामग्री का नाम	विवरण
1	लन्च पैकेट	प्रति पैकेट: (08 पूँडी, वजन 200 ग्राम, सब्जी वजन 150 ग्राम, अचार)
2	पानी की बोतल	01 लीटर
3	मच्छरदानी	सिंगल बेड
4	जरीकेन (प्लास्टिक)	20 लीटर
5	जरीकेन (प्लास्टिक)	05 लीटर
6	टाच (प्लास्टिक)	एवरेंडी/जीप ब्रान्ड 02 सेल वाला
7	भूसा (पशुचारा)	प्रति कुन्तल

#### नियम व शर्तें

1— ई—निविदा प्रपत्र के साथ रु0 1,000—00 (रु0 एक हजार मात्र) का बैंकर्स चेक/डी0डी0 जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत हो, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, इटावा के पक्ष में देय होगा, आवेदन शुल्क के रूप में ई—टेण्डर <http://e-tender.up.nic.in> पर अपलोड करते हुये मूलरूप में कार्यालय में जमा करना होगा।

2— निविदादाताओं द्वारा धरोहर धनराशि रु0 1,00,000—00 (रु0 एक लाख मात्र) राष्ट्रीयकृत बैंक का डी0डी0/एफ0डी0आर0/डाकघर बचत पत्र (Refundable) जिलाधिकारी, इटावा के नाम बन्धक कराते हुए प्रस्तुत करना होगा, जिसकी रकैन कापी ऑनलाइन निविदा में सबमिट की जायेगी। उक्त धनराशि का कार्य समाप्ति के बाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कार्यालय से वापस प्राप्त की जा सकती है।

3— तकनीकी बिड के साथ ई—निविदा शुल्क मु0 1,000—00 एवं धरोहर राशि रु0 1,00,000—00 की धनराशि का उपरोक्तानुसार डी0डी0 आदि का टिन/जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र/01 करोड का हैसियत प्रमाण पत्र आदि ई—टेण्डर पोर्टल पर रकैन कर समस्त अभिलेख अपलोड करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर मूलरूप में जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण—संग्रह अनुभाग, कलैक्टरेट, इटावा में जमा करना अनिवार्य होगा। उक्त अभिलेखों को निर्धारित अवधि में जमा न करने की स्थिति में सम्बन्धित ई—निविदादाता की ई—निविदा खोली नहीं जायेगी।

4— स्थीकृत निविदा के निविदाकर्ता को अल्प सूचना पर 24 घंटे के अन्दर खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री वॉटर प्रूफ पैकेट में तैयार कराकर गन्तव्य स्थान पर उपलब्ध करायी जायेगी। आपूर्ति किए जाने वाले खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री को गन्तव्य स्थान तक पहुँचाने हेतु कोई अतिरिक्त भाड़ा देय न होगा। यदि समय से आपूर्ति नहीं की जाती है और वांछित पैकेटिंग में आपूर्ति नहीं होती है तो धरोहर राशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करने के साथ ही 02 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि सम्बन्धित निविदादाता से वसूल की जायेगी।

5— ई—निविदादाता द्वारा सभी वस्तुओं के रेट तथा गतंव्य स्थान तक खाद्यान्न सामग्री एवं अन्य राहत सामग्री पहुँचाने का समस्त कर व भाड़ा जोड़कर ही प्रस्तावित करना होगा, क्यों कि निविदादाता को किसी भी प्रकार का कर तथा सामग्री लाने ते जाने व निर्देशित स्थानों तक पहुँचाने का भाड़ा अलग से नहीं दिया जायेगा।

6— किसी भी निविदा को पूर्ण अथवा अशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार जिलाधिकारी, इटावा को होगा।

7— प्राविधानित सभी वस्तुएं बाढ़ के समय आवश्यकतानुसार सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/तहसीलदार/जिला पूर्ति अधिकारी की मांग पर अत्यन्त ही अल्प समय पर तत्काल उपलब्ध कराना होगा।

8— यदि ई—निविदादाता आपूर्ति आदेश के अनुसार खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री की आपूर्ति समय से नहीं करता है, तो खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री को बाजार या किसी अन्य संस्था से आपूर्ति सुनिश्चित करवाने के लिये निविदा आमंत्रणकर्ता स्वतन्त्र होगा, और यदि इस प्रक्रिया में मूल्य में कोई अन्तर आता है और अधिक भुगतान करना पड़ता है, तो ई—निविदादाता अधिक व्यय देने के लिए बाध्य होगा और यह राशि उसकी जमानत राशि से काट ली जायेगी। यदि जमानत राशि से अधिक व्यय हो जाता है, तो उसका भुगतान ई—निविदादाता को स्वयं करना होगा।

9— ई—निविदा स्वीकृत होने पर कार्यादेश के कम में आपूर्ति खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री सैम्पुल के आधार पर आपूर्ति नहीं की जाती है, तथा ई—निविदा आमंत्रणकर्ता अथवा प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण करने के दौरान यदि यह पाया गया कि खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री नमूने के अनुसार आपूर्ति नहीं की गयी है, तो आपूर्ति आदेश निरस्त करते हुये ई—निविदादाता की धरोहर राशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करने के साथ ही 02 प्रतिशत की अतिरिक्त कटौती की जायेगी।

10— स्वीकृत ई—निविदादाता मांग के अनुसार खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री की आपूर्ति करने पश्चात फर्म/संस्था/एजेंसी का निर्धारित बिल सम्बन्धित तहसील के उप जिलाधिकारी/तहसीलदार को प्रस्तुत करना होगा, जिसका सत्यापनोपरान्त समस्त कटौतियों के उपरान्त ई—पैमेंट के मध्यम से सम्बन्धित के खाते में भुगतान किया जायेगा।

11—आपूर्ति की गई खाद्यान्न सामग्री में से बोरे/पैकेट आदि का भार काटकर बजन की गणना की जायेगी।

12— आलू के मामले में बड़े साइज का आलू ही स्वीकार किया जायेगा। आलू हरा नहीं होना चाहिए। यदि छोटा आलू मिलाया जाता है तो उसको छांटकर बजन की गणना की जायेगी एवं तदनुसार बिल से धनराशि की कटौती की जायेगी।

13— लाई केवल धान की स्वीकार की जायेगी, रवे अथवा मैदा से बनाई लाई स्वीकार नहीं की जायेगी।

14— ई—निविदा आवेदन पत्र उन्हीं फर्मों/संस्थाओं के स्वीकार किये जायेंगे, जो प्राविधानित खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री का वास्तविक रूप से व्यवसाय करते हों तथा उनका व्यापार कर पंजीकरण उस वस्तु विशेष के व्यापार करने हेतु हों। किसी भी जनरल आर्डर एजेंट अथवा मध्यस्थ को ई—निविदा प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जायेगा। यदि जांच के दौरान ऐसा पाया जाता है, तो सम्बन्धित फर्म/संस्था की ई—निविदा निरस्त कर उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

15— खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री की आपूर्ति उच्च गुणवत्ता की होगी।

16— ई—निविदा खोले जाने के समय ई—निविदादाता द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री का (सैम्पल सेट) गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जो कि उच्च गुणवत्तायुक्त होना चाहिए। जिन ई—निविदादाताओं द्वारा सैम्पल गठित समिति के समक्ष उपलब्ध नहीं कराया जाता है, उनकी निविदा नहीं खोली जायेगी।

17—ई—निविदादाता को 100—00 रु0 के स्टाम्प पर शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसकी संस्था किसी भी सरकारी कार्यालय/उ0प्र0 सरकार/संस्था द्वारा काली सूची में नहीं डाली गई है।

18—ई—निविदादाता द्वारा गत 03 वर्षों में बाढ़/सूखा/किसी अन्य आपदा में राहत सामग्री आपूर्ति का सरकारी कार्यालय में अनुभव होना अनिवार्य होगा तथा विगत 03 वर्षों के कार्यादेश ई—निविदा के साथ दाखिल किया जाना अनिवार्य होगा।

19—ई—निविदादाता का पिछले तीन वित्तीय वर्षों में 02 करोड़ का टर्न ओवर होना चाहिए, जिस हेतु बैलेंस शीट निविदा के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

20—फर्म/प्रतिष्ठान का संचालन नियमानुसार होना चाहिए।

21—आपूर्ति का आदेश दैवीय आपदा होने की दशा में ही आवश्यकतानुसार निर्गत किया जायेगा।

अक्तु नियम व शर्तें तथा आपूर्ति किए जाने वाली सामग्री का विवरण ई—निविदा पोर्टल <http://e-tender.up.nic.in> पर भी उपलब्ध है।  
**संलग्नक—भाग—1 तकनीकी भाव पत्र व भाग—2 वित्तीय भाव पत्र।**

अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0)

इटावा।

#### **संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।**

**प्रतिलिपि—निम्नलिखित को अपने—अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चर्चा कराने हेतु प्रेषित:—**

1—जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

2—समस्त उप जिलाधिकारी, इटावा/भरथना/सैफई/जसवन्तनगर/चक्रनगर/ताखा।

3—अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, इटावा।

4—जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन0आई0सी0), इटावा को ई—निविदा को एन0आई0सी0 की जनपदीय बेवसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

5—ई—डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (ई—डीएम), इटावा को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त विषयक ई—निविदा को उपरोक्त बेवसाइट पर तत्काल अपलोड करवाकर अग्रेतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

6—समस्त तहसीलदार, इटावा/भरथना/सैफई/जसवन्तनगर/चक्रनगर/ताखा।

7—समस्त खण्ड विकास अधिकारी, बढ़पुरा/बसरेहर/जसवन्तनगर/भरथना/महेवा/चक्रनगर/ताखा/सैफई।

8—समस्त अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, इटावा, भरथना, जसवन्तनगर व इकदिल, बकेवर, लखना।

9—नाजिर सदर, कलैवर्ट्रेट, इटावा।

अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0)

इटावा।

(निविदा मूल्य—1000—00रु0)

(सम्भावित बाढ़ से प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री की आपूर्ति हेतु ई—निविदा प्रपत्र)

भाग—1

तकनीकी भाव पत्र

1—फर्म/संस्था/एजेन्सी का नाम . . . . .
2—फर्म/संस्था/एजेन्सी के स्वामी का नाम . . . . .
3—पिता का नाम . . . . .
4—पूरा पता. . . . .
5—दूरभाष नम्बर . . . . . मोबाइल नम्बर. . . . .
6—उद्योग की पंजीयन सं0 . . . . . प्रभावी दिनांक . . . . .
7—खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का पंजीयन सं0 . . . . . प्रभावी दिनांक . . . . .
8—टिन/जी0एस0टी0 का पंजीयन सं0 . . . . . प्रभावी दिनांक . . . . .
9—पैन नम्बर()की छायाप्रति संलग्न करें . . . . .
10—निविदा शुल्क रु0 1,000—00 के बैकर्स चेक/डी0डी0 का विवरण . . . . .
11—धरोहर राशि रु0 1,00,000—00(रु0 एक लाख) जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत हो का डी0डी0/एफ0डी0आर0/डाकघर बचत पत्र संख्या . . . . .
12—हैसियत का विवरण. . . . .
13—अनुभव का विवरण. . . . .
. . . . .

घोषणा

मैंने/हमने ई—टेंडर की क्लैकट्रेट, इटावा/समस्त तहसीलों/जिला पंचायत इटावा/समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों के नोटिस बोर्डों पर चर्चा की गई सूचना एवं ई—निविदा पोर्टल <http://e-tender.up.nic.in> पर अपलोड की गई ई—निविदा की सभी शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

ई—निविदादाता के हस्ताक्षर  
फर्म/संस्था का नाम व पता सील सहित

(सम्भावित बाढ़ से प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री की आपूर्ति हेतु ई-निविदा प्रपत्र)

## भाग-2 वित्तीय भाव पत्र

- 1-फर्म/संस्था/एजेन्सी का नाम . . . . .  
 2-फर्म/संस्था/एजेन्सी के स्वामी का नाम . . . . .  
 3-पिता का नाम . . . . .  
 4-पूरा पता. . . . .

### **खाद्यान्न सामग्री का विवरण**

क्र०सं०	खाद्यान्न सामग्री का नाम	मात्रा
1	आटा (प्रतिष्ठित ब्रान्डेड)	10 किग्रा०
2	चावल (उत्तम गुणवत्ता)	10 किग्रा०
3	आलू (उत्तम गुणवत्ता)	10 किग्रा०
4	लाई (उत्तम गुणवत्ता)	05 किग्रा०
5	भुना चना (उत्तम गुणवत्ता)	02 किग्रा०
6	अरहर की दाल (उत्तम गुणवत्ता)	02 किग्रा०
7	नमक आयोडाइज्ड (प्रतिष्ठित ब्रान्डेड)	500 ग्राम
8	हल्दी (प्रतिष्ठित ब्रान्डेड)	250 ग्राम
9	मिर्च पिसा (प्रतिष्ठित ब्रान्डेड)	250 ग्राम
10	धनिया (प्रतिष्ठित ब्रान्डेड)	250 ग्राम
11	मोमबत्ती (ब्रान्डेड)	01 पैकेट
12	माचिस (जलरोधी)	01 पैकेट
13	बिस्कुट-100ग्राम (प्रतिष्ठित ब्रान्डेड)	10 पैकेट
14	रिफाइन्ड तेल (प्रतिष्ठित ब्रान्डेड)	01 लीटर
15	नहाने के साबुन (ब्रान्डेड)	02 अदद

### **अन्य राहत सामग्री का विवरण**

क्र०सं०	अन्य राहत सामग्री का नाम	विवरण
1	लन्च पैकेट	प्रति पैकेट: (08 पूँडी, वजन 200 ग्राम, सब्जी वजन 150 ग्राम, अचार)
2	पानी की बोतल	01 लीटर
3	मछरदानी	सिंगल बेड
4	जरीकेन (प्लास्टिक)	20 लीटर
5	जरीकेन (प्लास्टिक)	05 लीटर
6	टार्च (प्लास्टिक)	एवरेडी/जीप ब्रान्ड 02 सेल वाला
7	भूसा (पशुचारा)	प्रति कुन्तल

### **घोषणा**

मैंने/हमने ई-टेंडर की कलैक्ट्रेट, इटावा/समस्त तहसीलों/जिला पंचायत इटावा/समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायतों के नोटिस बोर्ड पर चर्खा की गई सूचना एवं ई-निविदा पोर्टल <http://e-tender.up.nic.in> पर अपलोड की गई ई-निविदा की सभी शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

ई-निविदादाता के हस्ताक्षर  
फर्म/संस्था का नाम व पता सील सहित